# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 14/2026
जीसीएमएस नं. : 2026/34

**प्रार्थी :–**

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

**बनाम**

**अप्रार्थी :–**

श्री अचल सिंह उर्फ अशोक सिंह राजपुरोहित/ मोहन सिंह प्रोपराईटर श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड सेनावासा।

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 29–04–2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 27.02.2026 को श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड, सेनावासा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री अचल सिंह उर्फ अशोक सिंह / मोहन सिंह की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर फर्म पर पौहा, कचौरी एवं समोसा बनाना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

| क्र. स. | नाम ऑयल कम्पनी | सिलेंडर का एस. आर. नम्बर | कुल वजन किग्रा. में | खाली सिलेण्डर वजन | गैस का वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOCL | 946499 | [illegible] | 15.700 | 3.800 |
| 2 | IOCL | 093005 | 15.400 | 15.400 | 0.000 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested



जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री अचल सिंह उर्फ अशोक सिंह / मोहन सिंह के व्यवसायिक फर्म पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 2 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर जय बालाजी एच.पी.गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री सोहन अहारी/ वरसिंग अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 24.04.2026 को अप्रार्थी उपस्थित रहे, अप्रार्थी की ओर से श्री सोहनलाल गोदा अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र पेश किया। अप्रार्थी की ओर से जवाब एवं फर्द दस्तावेज के साथ उनके नाम में अन्तर सम्बन्धित शपथ पत्र पेश किया गया एवं गैस कनेक्शन डायरियों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की। विभागीय पैरोकार को अप्रार्थी के नाम के सन्दर्भ में रिपोर्ट पेश करने पाबंद किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि उक्त जांच मुझ प्रार्थी की अनुपस्थिति में की गई, जांच में मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डरो को विभाग द्वारा जब्त किया गया है। जबकि उक्त अधिकारियों द्वारा जो गैस सिलेण्डर जब्त करना बताया है, वह गैस सिलेण्डरो को दुकान में काम करने वाले कर्मचारी ने गलती से दुकान के पास गली के अन्दर रख दिये थे, जिस कारण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर जब्त किये गये है। मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डरो का दुरुपयोग नही किया गया है और किसी प्रकार से कोई अवैध कारोबार नही किया गया है। अतः जब्तशुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर मुझ प्रार्थी को सुपूर्द कर दिलाये जाने हेतु निवेदन है। भविष्य में किसी भी प्रकार से ऐसी कोई गलती की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा नही की जायेगी।

दिनांक 17.04.2026 को विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अप्रार्थी के नाम के सन्दर्भ में रिपोर्ट पेश कि प्रस्तुत रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि जो कार्यवाही दुकान मालिक अचल सिंह पिता मोहन सिंह का नाम सहवन से अशोक सिंह राजपुरोहित लिखा गया था। श्री अचल सिंह द्वारा शपथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पत्र देकर वास्तविक नाम अचल सिंह होने एवं आधार कार्ड 919946591617 होना बताया है। प्रकरण में अशोक सिंह के स्थान पर नाम अचल सिंह राजपुरोहित करने का श्रम करे।

दिनांक 17.04.2026, 22.04.2026 व आज दिनांक 29.04.2026 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी के नाम से व उनके अधिवक्ता के नाम बार–बार, रुक–रुक कर सायं. 4.00 बजे तक आवाज लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैद्य भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 27.02.2026 को श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड, सेनावासा की जांच उसके प्रोपराईटर श्री अचल सिंह उर्फ अशोक सिंह / मोहन सिंह की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर फर्म पर पौहा, कचौरी एवं समोसा बनाना पाया गया। श्री अचल सिंह उर्फ अशोक सिंह / मोहन सिंह के व्यवसायिक फर्म पर एल.पी.जी गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 2 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर जय बालाजी एच.पी.गैस एजेन्सी, बांसवाडा के प्रतिनिधि श्री सोहन अहारी/ वरसिंग अहारी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने जवाब के साथ फर्द दस्तावेज के संलग्न श्रीमती केसर पटेल पत्नि डायालाल पटेल उपभोक्ता क्रमांक 7036550312 व श्रीमती माया पटेल पत्नि धनपाल पटेल उपभोक्ता क्रमांक 70834[illegible]7 गैस कनेक्शन की फोटो प्रतियां पेश की है। किन्तु उक्त उपभाक्ताओ ने जब्त प्रश्नगत सिलेण्डर के सम्बन्ध में इस न्यायालय में उपस्थित होकर स्वामित्व सम्बन्धित प्रार्थना पत्र अथवा दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested



जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिवक्ता भी दिनांक 17.04.2026, 22.04.2026 व आज दिनांक 29.04.2026 को दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे है। निरीक्षण दल द्वारा कार्यवाही के दौरान मौके पर तैयार किया फर्द मौका एवं जब्ती की प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक फर्म घरेलु गैस का उपयोग किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 29–04–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.05.13 12:15:41 IST
Reason: SelfAttested